अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मुकेश बनाम शेखी वगैरह

किस्म मुकदमा–225राज.काश्तकारी अधि. अपील संख्या 312/2022(अजमेर)

आदेश स्वीकार/ 19.10.22

	श्री दीपक पारिक	
18.10.2022	यह अपील श्री दीपक पारिक एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 20.09.2022 प्रकरण संख्या 97/2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया जिस पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 19.10.2022 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
19.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 18.10.2022 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात बाबत उदघोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलांट द्वारा उक्त राजस्व वाद के साथ एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस बाबत अपीलांट के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवादित आराजीयात बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश दिनांक 20.09.2022 को विवादित आराजीयात बाबत प्रकरण में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं कर केवल मात्र रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर दिया जिनके उपस्थित होने के बावजूद भी अपीलांट के पक्ष में किसी भी प्रकार का न्यायोचित आदेश प्रदान नहीं कर अपीलांट के हक एवं अधिकारों के विपरित कार्य किया है विवादित आराजीयात अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जिस बाबत् वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेन्टस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जाना आवश्यक था किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांक 20.09.2022 में प्रकरण अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर मात्र रेस्पोडेन्टस को अनावश्यक लाभ प्रदान करते हुए आगामी पेशी प्रदान कर रेस्पोडेन्टस को विवादित आराजीयात बावत रहन, बय, मुतंकिल एवं अन्य निर्माण कार्य एवं अन्यथा हस्तान्तरण किये जाने की खुली छूट प्रदान कर दी । जिसकी आड में अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल करने एवं मौके व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात को किसी प्रकार से रहन, बय मुंतकिल नहीं करे तथा मौके एव राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मुकेश बनाम शेखी वगैरह

किस्म मुकदमा–225राज.काश्तकारी अधि. अपील संख्या 312/2022

लगातार

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया अपीलांट के हक हिस्सों का निर्धारण तो दावे में ही तय होना है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेकों न्यायिक दृष्टांतो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात का संरक्षण किया जाना न्यायालय का दायित्व है अतः हम पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का 60 दिवस में निस्तारण करे तब तक उभयपक्ष प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम) में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखे। उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.11.2022 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु पाबंद किया जाता है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण किये जाने के बाद न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर